न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 42/2008
आरसीएमएस नं0 2008/00192
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

1. बनवारी
2. साहबराम } पि0 रावताराम जाति नायक साकिन जसाना तहसील नोहर
3. रायसिह } जिला हनुमानगढ।
4. साहबदीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन जसाना तहसील नोहर।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. उमरदीन वल्द ईस्माईल जाति कुम्हार साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. सफी मोहम्मद पुत्र इस्माईल जाति कुम्हार साकिन जसाना तहसील नोहर।

– रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.09.2008

द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर,

प्र0 सं0 37/2007 अनवान उमरदीन बनाम बनवारी आदि

श्री रामकुमार बेनीवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः- 8.9.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 कोलो0 एक्ट की धारा 8 (2) के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि रोही मोजा चक नं. 20 जेएसएन में कुल 2.909 है भूमि है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार प्रार्थी के भाई सफी मोहम्मद के नाम रोही मौ चक नं. 20 जेएसएन में 3.199 है0 भूमि खातेदारी हैं। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सं0 5 की खातेदारी भूमि के पश्चिम में अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की चक 20 जेएसएन में कुल 1.518 है0 भूमि है व अप्रार्थी सं0 4 साहबदीन की भी चक 20 जेएसएन की 1.771 है0 खातेदारी भूमि है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सं0 5 को अपने खेत में आवागमन के लिए कोई भी सुविधाजनक रास्ता मंजूरशुदा नहीं है। वे हमेशा अप्रार्थी सं0 1 से 4 के खेत में से आवागमन करते हैं व तरतीबी अप्रार्थी सं0 5 खेत में आवागमन के लिए सुविधाजनक रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से ही है। प्रार्थीगण ने चक नं. 20 जेएसएन के प. नं. 327/408 के किला नं. 20 , 19 व 18 में एक एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का विरोध किया एवं प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय मनमाना एवं स्वेच्छाचारीतापूर्ण है जो न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार की रिपोर्ट व अपीलाण्ट के जवाब पर पर कतई गौर नहीं करके विधि विरूद्ध तरीके से मनमाना निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट की भूमि दो टुकड़ों में बांट दिया है इसलिए अपीलण्ट की भूमि काश्त के काबिल नहीं बची तथा अपीलाण्ट के भूखा मरने की नौबत आ जाऐगी। मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के प्रस्तुत जवाब पर कतई गौर नहीं किया क्यों कि यदि किला नं. 8, 9, 10 में पूर्व की तरफ रास्ता दे दिया जाता तो मुताबिक राजीनामा दरख्वास्त स्वीकार होती तथा झगड़ा नहीं बढता तथा रास्ता भी मंजूर हो जाता लेकिन विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तरीके से रास्ता स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं अपील में वर्णितानुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट की भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा सुझाया गया रास्ता किला नं. 8 ता 10 यदि स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी सं0 5 तरतीबी अप्रार्थी जिसके द्वारा भी अपनी भूमि के लिए रास्ता मांगा गया है उसके खेत मे आने जान के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इस पर वह पुनः रास्ता के लिए आवेदन करेगा जबकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी सं0 5 दोनों को ही रास्ता मिल सकेगा। जहां तक अपीलाण्ट की भूमि कम होने का प्रश्न है उसे भूमि के बदले में भूमि दिये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिये हैं। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। विचारण न्यायालय ने समस्त तथ्यों का विवेचन कर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी एवं रेस्पोडेण्ट सं0 2 की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा था जो स्वीकार किया गया है। अपील में अपीलाण्ट का कथन है कि स्वीकृत किये गये रास्ते के बजाय यदि किला नं. 8, 9, 10 में पूर्व की तरफ रास्ता दे दिया जाता तो मुताबिक राजीनामा दरख्वास्त स्वीकार होती तथा झगड़ा नहीं बढता तथा रास्ता भी मंजूर हो जाता। अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तसहीलदार को मौका कमिश्नर की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय में उक्त तथ्य पर विस्तृत विवेचन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि किला नं. 8 ता 10 यदि स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी सं0 5 तरतीबी अप्रार्थी जिसके द्वारा भी अपनी भूमि के लिए रास्ता मांगा गया है उसके खेत में आने जान के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इस पर वह पुनः रास्ता के लिए आवेदन करेगा जबकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी सं0 5 दोनों को ही रास्ता मिल सकेगा। अपीलाण्ट को भूमि के बदले में भूमि दिये जाने के आदेश भी दिये गये हैं जिससे अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.09.2008 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.9.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

8/9/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)